सं0– 159 /IV(2)-श0वि0–2014–56(सा0)06

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादून : दिनांक– 19 मार्च, 2014

विषयः– **नगरपालिका परिषद, चम्पावत के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 695/V–श0वि0–06–56(सा0)/06, दिनांक 25.03.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगरपालिका परिषद, चम्पावत के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु ₹134.65 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹67.32 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2– उपरोक्त के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चम्पावत द्वारा स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, चम्पावत को उक्त निर्माण कार्यों हेतु एल–1 की धनराशि को घटाने के उपरान्त संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल **₹35.54 लाख (रूपये पैंतीय लाख चौव्वन हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि **₹35.54 लाख (रूपये पैंतीय लाख चौव्वन हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर नगरपालिका परिषद, चम्पावत को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) पूर्व निर्गत शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) उक्त निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने आवश्यक होंगे और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

(iv) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(v) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

(vi) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु अधिशासी अधिकारी/तकनीकी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

..2/-....

(vii) निर्माण कार्य पर प्रयोग किए जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(viii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2014 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–'20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ 28.07 लाख, के अनुदान सं0–30 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–'42 अन्य व्यय के नामे ₹ 6.40 लाख, तथा के अनुदान सं0–31 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ 1.07 लाख डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0– 844/XXVII(2)/2014, दिनांक– 07 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी सं0 S.1403130294 ——S.1403300296 एवं S.1403310297 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

सं0–159 (1)/IV(2)-श0वि0–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल।
6. जिलाधिकारी, चम्पावत।

3/–

7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट/राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चम्पावत।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः 1591(2)IV(2)-श0वि0–2014–56(सा0)06, दिनांक 19 मार्च, 2014 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	नगरपालिका परिषद, चम्पावत के क्षेत्रान्तर्गत निर्माण कार्य का नाम	टी0ए0सी0 से संस्तुत धनराशि	एल–1 की धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	अवशेष/अवमुक्त की जा रही धनराशि
3.	गोरलचौड़ के निकट बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन एवं शॉपिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण।	134.65	102.86	67.32	35.54
4.	गोरलचौड़ मैदान के निकट एवं नगर पंचायत, कार्यालय के पास स्थित भूमि पर शॉपिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण।				

(₹ पैंतीस लाख चौव्वन हजार मात्र)

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।